

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 155/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/217

अनवान

रामप्रसाद पिता प्रहलाद लोहार निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

- 1- सोहन पिता सुजान सिंह राजपूत निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- भेरूलाल पिता प्रहलाद लोहार निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 20/08/2025

उपस्थित :-

श्री कल्याणमल धाकड़ : अधिवक्ता प्रार्थी

::- निर्णय -::

दिनांक : 15/10/2025

1. वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के पेश किया। संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम सारांश प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 539/1 रकबा 0.37 है0, 540 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थी दिनांक 20.10.2024 को अपनी आराजियात पर हांकने गया तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण प्रार्थी के वाद हेतु तारीख 20/10/2024 से पैदा होकर जारी है। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम सारांश प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 539/1 रकबा 0.37 है0, 540 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश बक्षावें।
3. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थी वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 539/1 रकबा 0.37 है0, 540 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 का अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम सारांश प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 539/1 रकबा 0.37 है0, 540 रकबा 0.20 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राब.)

प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक बोरड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। उभयपक्षकारान में से किसी की भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। यदि कोई सहखातेदार जो इस पत्रावली में प्रार्थी के तौर पर पक्षकार नहीं है एवं पत्थरगढी की कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज करवाता है तो पत्थरगढी कारवाई नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।



(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा